बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

!! संकल्प !!

विषय–सिविल अपील संख्या–4643–4646/2003 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक–01.11.2007 को पारित न्यायादेश के आलोक में आयुर्वेदिक चिकित्सा पदाधिकारियों एवं आयुष फिजिशियन (आयुर्वेदिक) की नियुक्ति हेतु बिहार तकनीकी सेवा आयोग द्वारा प्रकाशित क्रमशः विज्ञापन संख्या–04/2020 एवं 05/2020 के अंतर्गत कुल 47 **GAMS (GRADUATE IN AYURVEDIC MEDICINE AND SURGERY)** डिग्रीधारी अभ्यर्थियों की डिग्री को संकल्प की कंडिका–7 में निहित शर्त्तों के तहत मान्य करते हुए रिक्त पदों पर नियुक्त करने के संबंध में।

बिहार जिला आयुष चिकित्सा/राज्य आयुष चिकित्सा सेवा (नियमित/अनुबंध के आधार पर नियुक्ति एव सेवाशर्त) नियमावली, 2010 (समय–समय पर यथासंशोधित) में आयुष (आयुर्वेदिक, यूनानी एव होमियोपैथिक) चिकित्सा पदाधिकारी/आयुष फिजिशियन (आयुर्वेदिक, यूनानी एव होमियोपैथिक) के पद पर नियुक्ति के लिए अर्हता बी0ए0एम0एस0/बी0यू0एम0एस0/बी0एच0एम0एस0 का प्रावधान किया गया है, जिसके आलोक में बिहार तकनीकी सेवा आयोग द्वारा उक्त पदो पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन सख्या–04/2020 से 09/2020 प्रकाशित किया गया।

2. उक्त नियमावली 2010 (समय–समय पर यथासशोधित) में सिविल अपील संख्या–4643–4646/2003 में दिनाक 01 11.2007 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश का उल्लेख नहीं रहने के कारण बिहार तकनीकी सेवा आयोग द्वारा प्रकाशित विज्ञापन सख्या–04/2020 (आयुर्वेदिक चिकित्सा पदाधिकारी) एव विज्ञापन संख्या–05/2020 (आयुष फिजिशियन, आयुर्वेदिक) मे जी0ए0एम0एस0 डिग्री को मान्यता नही दी गई।

3. सिविल अपील सख्या–4643–4646/2003 मे दिनाक–01 11.2007 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश का कार्यकारी अश अग्रलिखित है –

"On a reasonable construction of these Sections, we hold that the provisions of Section 13B whereby the qualification granted to any student of a medical college would not be deemed to be a recognized medical qualification would not apply. When degree has been legally conferred on the students prior to the commencement of the Amending Act of 2003, it shall be treated as a recognized degree although the medical college has not sought permission of the Central Government within a period of three years from the commencement of the Amending Act of 2003.

For the reasons aforesaid, the appeals are allowed. The judgment of the High Court is set aside and we hold that the GAMS degree conferred on the appellant-

students shall be treated as a recognized degree for the purposes of taking admission to the higher courses of study and also for the purposes of employment."

4. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित उक्त न्यायादेश के आलोक मे विधि विभाग का परामर्श प्राप्त किया गया। विधि विभाग का परामर्श निम्नवत है :–

"Against total vacancies of 3270, the Bihar Technical Service Commission has made recommendation in respect of 2901 posts only as many candidates in their respective categories were not found suitable for being recommended. In order purge likely contempt of order of Hon'ble Supreme Court, it would be appropriate that a special drive is undertaken for considering the case of candidate possessing GAMS degree at the earliest. There are two ways to resolve the deadlock. One way is that the vacancies which have remained unfilled out of 3270, the same may be considered as a onetime measure for considering the case of applicant's possessed of GAMS qualification. Needless to say, in such a scenario the vacancies which have not been filled up, would naturally be on different categories namely BC/EBC/SC/ST etc. If the Government is agreeable to conduct a special drive to consider the case of GAMS qualified candidates such vacancies may be filled up from successful candidates, however the same will be required to be carried forward to be treated as backlog of the respective category for being made available for future appointment. Needless to say, that such relaxation can be made only with the approval of the highest authority of the State Government. Second alternative option can be to consider their case against fresh vacancies to be sanctioned by the Government for being filled up as a onetime measure from candidates possessed by GAMS qualification. It is for the government to decide which of the two options are more practically, convenient and do-able.

Needless to say, that while organizing a special drive it will be open to the authorities to scrutinize the certificate of the candidates to find out its genuineness. Mere submission of GAMS qualification would not suffice as the same would require thorough scrutiny to verify genuineness of the credentials."

5. बिहार तकनीकी सेवा आयोग के पत्राक–232 दिनाक–22.01.2025 द्वारा विज्ञापन संख्या–04/2020 (आयुर्वेदिक चिकित्सा पदाधिकारी) के अतर्गत 47 एवं विज्ञापन संख्या–05/2020 (आयुष फिजिशियन, आयुर्वेदिक) के अतर्गत 17 आवेदन किये गये एव दस्तावेज सत्यापन (Counselling) मे उपस्थित GAMS डिग्रीधारी अभ्यर्थियो की सूची उपलब्ध कराया गया है। ज्ञातव्य हो कि विज्ञापन सख्या–05/2020 के अंतर्गत आवेदन किये हुए सभी 17 अभ्यर्थियो के द्वारा विज्ञापन संख्या–04/2020 के अंतर्गत भी आवेदन किया गया है।

6. आयुष फिजिशियन (आयुर्वेदिक) का 04 पद रिक्त है। आयुर्वेदिक चिकित्सा पदाधिकारी के 1502 पदो पर नियुक्ति हेतु अधियाचना बिहार तकनीकी सेवा आयोग को प्रेषित कि गई थी, जिसके विरूद्ध आयोग द्वारा 1328 अभ्यर्थियों की अनुशसा स्वास्थ्य विभाग को उपलब्ध

कराई गई। ऐसी स्थिति में जो रिक्तियाँ है वे स्वभाविक रूप से पिछड़ा वर्ग/अत्यन्त पिछड़ा वर्ग/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति आदि कोटि का है। यदि GAMS डिग्रीधारी के योग्य अभ्यर्थियों से रिक्तियो को भरा जाता है तो उन्हें संबंधित कोटि के बैकलॉग के रूप मे माना जायेगा ताकि भविष्य की नियुक्ति के लिए उपलब्ध कराया जा सके।

7 विधि विभाग के परामर्श के आलोक में प्रथम विकल्प को अपनाते हुए एवं सामान्य प्रशासन विभाग के परामर्श के आलोक में सिविल अपील संख्या–4643–4646/2003 मे माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनाक 01.11.2007 को पारित न्यायादेश के अनुपालन में आयुर्वेदिक चिकित्सा पदाधिकारियों एव आयुष फिजिशियन (आयुर्वेदिक) की नियुक्ति हेतु बिहार तकनीकी सेवा आयोग द्वारा प्रकाशित क्रमश: विज्ञापन सख्या–04/2020 एव 05/2020 के शर्तो के अतर्गत एकमुश्त समाधान (Onetime Measure) के रूप मे वर्ष 2003 तक जी0ए0एम0एस0 (ग्रेजूएट इन आयुर्वेदिक मेडिसीन एण्ड सर्जरी) में उर्त्तीण छात्रों की डिग्री भी मान्य करते हुए GAMS डिग्रीधारी अभ्यर्थियों को रिक्त पदों पर नियुक्ति सामान्य प्रशासन विभाग की सहमति एवं मत्रिपरिषद् की स्वीकृति के उपरात चयन प्रक्रिया हेतु आवश्यक शर्त निम्नलिखित है :–

(i) विभागीय पत्रांक–425(आ0चि0) दिनांक–10.05.2023 द्वारा आयुष चिकित्सको की नियुक्ति में सभी कोटि के अभ्यर्थियो को अधिकतम उम्र सीमा में 23 वर्षों की छूट दिया गया था। तदनुसार GAMS डिग्रीधारी अभ्यर्थियों के लिए भी अधिकतम उम्र सीमा मे 23 वर्षो की छूट मान्य होगा।

(ii) विज्ञापन सख्या–04/2020 के अंतर्गत आयुर्वेदिक चिकित्सा पदाधिकारी के 1502 पदों पर नियुक्ति हेतु अधियाचना बिहार तकनीकी सेवा आयोग को प्रेषित की गई थी, जिसके विरूद्ध आयोग द्वारा 1328 अभ्यर्थियो की अनुशंसा स्वास्थ्य विभाग को उपलब्ध कराई गई। इस प्रकार रिक्तियों की सख्या 174 है, जो कोटिवार निम्नवत् है :–

अनारक्षित वर्ग – 54

अनुसूचित जाति – 120

(iii) विज्ञापन सख्या–05/2020 के अंतर्गत आयुष फिजिशियन (आयुर्वेदिक) के 126 पदों पर नियुक्ति हेतु अधियाचना बिहार तकनीकी सेवा आयोग को प्रेषित की गई थी, जिसके विरूद्ध आयोग द्वारा 122 अभ्यर्थियों की अनुशंसा स्वास्थ्य विभाग को उपलब्ध कराई गई। इस प्रकार रिक्तियों की सख्या 04 है, जो अनारक्षित वर्ग का है।

(iv) बिहार तकनीकी सेवा आयोग द्वारा वैसे GAMS अभ्यर्थियो की अनुशंसा उपलब्ध करायी जायेगी, जो अपने–अपने कोटि के अन्तर्गत चयनित BAMS अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित न्यूनतम अर्हता अंक अनिवार्य रूप से प्राप्त करते हैं।

(v) नियुक्ति की यह प्रक्रिया सिर्फ वर्ष 2003 तक जी0ए0एम0एस0 (ग्रेजूएट इन आयुर्वेदिक मेडिसीन एण्ड सर्जरी) उर्त्तीण छात्रों की डिग्री मान्य करने के लिए प्रावधान किया जा रहा है।

8. सामान्य प्रशासन विभाग का परामर्श निम्नवत् है.–

प्रशासी विभाग को एकबारगी उपाय (One Time Measure) के रूप में तथा पूर्वोदाहरण नही बनाये जाने के शर्त्त के साथ यह परामर्श दिया जा सकता है कि नियुक्ति हेतु प्रस्तावित

कुल–47 GAMS डिग्रीधारी अभ्यर्थियों की कोटिवार सूचना एकत्रित करते हुए अनुसूचित जाति कोटि से संबधित GAMS डिग्रीधारी अभ्यर्थियों को विज्ञापन सख्या–04/2020 के अधीन अनुसूचित जाति कोटि में उपलब्ध 120 रिक्तियों के विरूद्ध नियुक्त करने की कार्रवाई की जा सकती है, जबकि शेष GAMS डिग्रीधारी अभ्यर्थियों को विज्ञापन संख्या–04/2020 के अधीन ही अनारक्षित वर्ग के अन्तर्गत उपलब्ध 54 रिक्तियों के विरूद्ध इस शर्त के साथ समायोजित की जा सकती है कि भविष्य में इन कोटियों के लिए उत्पन्न रिक्ति को अनारक्षित वर्ग को अनुमान्य कराया जा सकेगा।

9. अतः सिविल अपील संख्या–4643–4646/2003 मे माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक–01.11.2007 को पारित न्यायादेश के आलोक में आयुर्वेदिक चिकित्सा पदाधिकारियों एवं आयुष फिजिशियन (आयुर्वेदिक) की नियुक्ति हेतु बिहार तकनीकी सेवा आयोग द्वारा प्रकाशित क्रमशः विज्ञापन सख्या–04/2020 एव 05/2020 के अंतर्गत कुल 47 GAMS (GRADUATE IN AYURVEDIC MEDICINE AND SURGERY) डिग्रीधारी अभ्यर्थियों की डिग्री को सकल्प की कंडिका–7 में निहित शर्त्तो के तहत मान्य करते हुए रिक्त पदों पर नियुक्त करने का निर्णय लिया जाता है।

10 प्रस्ताव में मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनाक–16.05.2025 के मद सख्या–32 में स्वीकृति प्राप्त है।

आदेश :– आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधितों को भेज दी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

21.5.25

(शम्भू शरण)

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक:–16/ए.2–12/2013–764(आ.चि.) **पटना, दिनांक** – 21.5.2025

प्रतिलिपिः– प्रभारी पदाधिकारी, ई–गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार राजपत्र के असाधारण अक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– सचिव, बिहार तकनीकी सेवा आयोग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुरोध है कि उक्त सकल्प के आलोक में नियमानुसार कार्रवाई करते हुए योग्य अभ्यर्थियों की अनुशंसा शीघ्र उपलब्ध कराने की कृपा की जाए।

प्रतिलिपिः– माननीय मत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य के प्रधान आप्त सचिव/सचिव, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/आयुष निदेशालय के सभी पदाधिकारियो को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– अपर सचिव, मत्रीमडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना को मंत्रिपरिषद् की दिनाक–16.05.2025 की बैठक के मद संख्या–32 के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय बेवसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

21.5.25

सरकार के अपर सचिव